भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1634
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>व्यापार नियमों का उल्लंघन</u>

1634. प्रो. रिचर्ड हेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में व्यापार नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
(ख) उक्त समयावधि के दौरान कितने मामलों की जांच हुई है और कितने मामले अभी भी लंबित है;
(ग) क्या सरकार ने व्यापार नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कोई शास्ति लगायी है; और
(घ) यदि हां, तो उक्त कंपनियों से शास्ति के रूप में की गई वसूली का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कानूनों, जिनका प्रशासन इस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, के अधीन किसी व्यापार नियम का प्रशासन नहीं करता:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी अधिनियम, 1956 के वे प्रावधान जो अभी लागू है (ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (iii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 (iv) चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949 (v) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (vi) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

.....2/-

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने बताया है कि उनके द्वारा तैयार की गई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार भी शामिल है। एफडीआई नियमनों का उल्लंघन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999 के दंडात्मक प्रावधान में कवर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) फेमा का प्रशासन करता है और वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय फेमा के प्रवर्तन के लिए प्राधिकारी है। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों और नियमनों के आरोपित या संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	जांच के लिए शुरू किए गए मामले	जिन मामलों में जांच पूरी की गई (*)
2013-14	108	120
2014-15	70	122
2015-16	133	123
2016-17 (30 सितंबर, 2016 तक)	192	55

*किसी वर्ष के दौरान पूरी की गई जांच पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान शुरू किए गए मामलों से संबंधित हो सकती है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पारित निर्णय आदेशों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

विवरण	2015-16		2014-15	2013-14
	संस्थाओं की संख्या	मामलों की संख्या	पारित आदेशों की संख्या	पारित आदेशों की संख्या
पारित आदेश	893	425	1211	619

पिछले तीन वर्षों में वसूली कार्रवाई शुरू करने के अनुसरण में वसूल की गई कुल राशि इस प्रकार है:-

विवरण	2015-16	2014-15	2013-14
वसूल की गई राशि	224.6 करोड़ रुपए	19.2 करोड़ रुपए	7.8 करोड़ रुपए

*****